डिस्कलेमर

आदेश संख्या 27/2023-24 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा/20010/एमवाईटीपी/जीआईएएल/मोपा-गोवा/सीपी-I/2023-24

आदेश संख्या 27/2023-24

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा (जीओएक्स) में प्रथम नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2028) के लिए वैमानिक लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख: 07.12.2023

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

14 *प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार*

अध्याय 2 : मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के टैरिफ निर्धारण की कार्यप्रणाली

2.11.1 मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा गोवा के संबंध में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक लागू प्रथम नियंत्रण अवधि को मानना।

अध्याय 3 : सीओडी से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए टैरिफ का निर्धारण

3.3.1 तालिका 10 के अनुसार यातायात को मानना।

3.3.2 तालिका 15 के अनुसार पूंजीगत व्यय, आरएबी और मूल्यह्रास को मानना।

3.3.3 पैरा 3.2.21 के अनुसार एफआरओआर को मानना।

3.3.4 तालिका 17 के अनुसार वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

3.3.5 तालिका 19 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

3.3.6 तालिका 21 के अनुसार वैमानिक कर को मानना।

3.3.7 तालिका 23 के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

3.3.8 तालिका 25 के अनुसार रूपए 189.79 करोड़ की कम वसूली को मानना और उसे प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर में समायोजित करना ।

3.3.9 पहले चरण की कुल पूर्ण की गई लागत और अगली नियंत्रण अवधि में जीआईएएल, मोपा, गोवा द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अचल परिसंपत्ति रजिस्टर के आधार पर इस अवधि के आरएबी और मूल्यह्रास के परिवर्धनों को टूअप करना।

अध्याय 4: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

4.6.1 मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा मोपा, गोवा के लिए तालिका 40 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम, यात्री यातायात और कार्गो यातायात को मानना।

4.6.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि की वास्तविक संख्या के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री, एटीएम और कार्गो) को मानना।

अध्याय 5: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) और मूल्यह्रास

5.10.1 पैरा 5.4.6 में उल्लेख किए अनुसार और आईएमजी मानदंडों तथा अन्य समान प्रकार के हवाईअड्डों के लिए यथानुमोदित मानदंडों के अनुरूप 90:10 के टर्मिनल भवन अनुपात (टीबीएलआर) को मानना।

5.10.2 तालिका 86 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान वित्तीयन भत्ते की अनुमति देना।

5.10.3 तालिका 88 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय को अंगीकार करना।

5.10.4 तालिका 89 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक परिवर्धनों को अंगीकार करना।

5.10.5 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेखांकन की जांच करना और अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना (जैसा कि पैरा 5.3.29 और पैरा 5.9.14 में बताया गया है)।

5.10.6 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पैरा 5.3.35 में उल्लेख किए अनुसार पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से पूंजीकृत न की गई परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

5.10.7 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत दक्षता और औचित्य के आधार पर वैमानिक पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।

5.10.8 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 90 के अनुसार वैमानिक मूल्यह्रास को अंगीकार करना।

5.10.9 अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारित करने के दौरान परिसंपत्तियों के वास्तविक परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

5.10.10 मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा के लिए तालिका 91 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

5.10.11 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 6 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

6.6.1 सीएपीएम सूत्र के अनुसार 15.18% पर ईक्विटी की लागत को मानना।

6.6.2 अन्य सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले हवाईअड्डों के मामले में माने जा रहे ईक्विटी के मूल्य पर ऋण के लक्षित अनुपात के अनुरूप 48% : 52% के ईक्विटी (प्राप्ति) अनुपात के कल्पित ऋण को मानना।

6.6.3 पैरा 6.5.5 में उललेख किए अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 9% की ऋण की लागत को मानना।

6.6.4 ईक्विटी की लागत, ऋण की लागत और ईक्विटी के मूल्य पर ऋण के अनुपात के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 12.21% के एफआरओआर को मानना।

अध्याय 7 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

7.5.1 मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा के लिए तालिका 97 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 8: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

8.6.1 तालिका 127 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

8.6.2 जीआईएएल, मोपा गोवा के संबंध में अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान जीआईएएल, मोपा, गोवा द्वारा वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

अध्याय 9: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

9.6.1 मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 141 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

9.6.2 जीआईएएल, मोपा, गोवा, को समान हवाईअड्डों के अनुरूप प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा के एनएआर को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

9.6.3 टू-अप के समय ब्याज की वास्तविक आय को गैर- वैमानिक राजस्व के भाग के रूप में मानना।

9.6.4 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्राधिकरण द्वारा तालिका 141 में निर्णय किए अनुसार न्यूनतम सीमा की शर्त पर गैर-वैमानिक राजस्व का पुनर्विलोकन करना और वास्तविक आंकड़ों के आधार पर टू-अप करना।

अध्याय 10 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

10.5.1 तालिका 145 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर को मानना।

10.5.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों पर उचित रूप से विचार करके वैमानिक कर की राशि को टू-अप करना।

अध्याय 11: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

11.5.1 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए जीआईएएल, मोपा, गोवा की सेवा की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी समायोजन को न मानना।

11.5.2 जीआईएएल, मोपा, गोवा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा में सेवा की गुणवत्ता पूरी नियंत्रण अवधि में रियायत करार में इंगित किए गए निष्पादन मानकों के अनुरूप है।

अध्याय 12 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा

12.3.1 मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा के लिए तालिका 150 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वाईपीपी को मानना।

अध्याय 13 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

13.5.1 संलग्नक-I में दिए गए विवरण के अनुसार टैरिफ दर कार्ड के आधार पर वैमानिक राजस्व को मानना।

13.5.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि की वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

अध्याय 15 : आदेश

15.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतदद्वारा संलग्नक-I के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर वसूली जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।

15.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतदद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक 1 के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।

15.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

15.4 यह टैरिफ आदेश 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी किया जाएगा।

15.5 हवाईअड्डा प्रचालक प्राधिकरण के दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्राधिकरण को ठीक समय पर प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री आर. वी. शेषण,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा-गोवा,
प्रशासनिक ब्लॉक, मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,
तालुका पेर्णम, मोपा, उत्तरी गोवा-403512

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. **सचिव,** नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. **नागर विमानन महानिदेशालय** : एआईसी जारी करने के लिए